

13-8-22

वर्गीय कायदा के प्रा.पत्र प्रकृत्य के अन्तर्गत एवं पतावली आठ प्रकृत्य  
इसी) वर्गीय कायदा का अन्तर्गत है कि प्रकृत्य के अन्तर्गत  
काठ आदि विषय, जहाँ है वहाँ आकर वर्गीय कायदा के  
अन्तर्गत प्रा.पत्र अन्तर्गत विषयका आगे विज्ञे एवं वर्गीय  
आकर आगे प्रा.पत्र आगे है आगे वर्गीय कायदा का विवेक  
आकर एवं प्रा.पत्र अन्तर्गत विषयका वर्गीय विषय आगे है  
पतावली के पत्रसुभाल होना काक तयसी का अन्तर्गत आगे है)

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)

